भारत सरकार

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1064

(दिनांक 29.04.2016 को उत्तर देने के लिए)

ईएमएमसी को मजबूत करना

1064. श्री दुष्यंत चौटाला:

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने अवांछित तत्वों के प्रसारण से नागरिकों को बचाने के उद्देश्य से 12वीं योजना के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक मीडिया निगरानी केन्द्र (ईएमएमसी) को मजबूत करने के लिए कोई योजना/स्कीम शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस योजना की वर्तमान स्थिति क्या है तथा इस योजना के माध्यम से निगरानी के तहत सरकार द्वारा लाए गए टी.वी. चैनलों की संख्या कितनी है; और

(ग) सरकार द्वारा इस केंद्र के उन्नयन के लिए की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है, ताकि देश में टी.वी. चैनलों की गहन निगरानी की जा सके?

उत्तर

सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री

(कर्नल राज्यवर्धन राठौर) (सेवानिवृत्त)

<u>(क) से (ग)</u>: इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मॉनीटरिंग केंद्र (ईएमएमसी) की स्थापना 50 चैनलों की 24x7 आधार पर निगरानी करने के लिए 11वीं योजना के अंतर्गत वर्ष 2010 में की गई थी। यह संख्या 11वीं योजना के अंतर्गत धीरे-धीरे बढ़कर 150 और बाद में 300 हो गई। इसके अतिरिक्त, 12वीं योजनावधि (2012-2017) के अंतर्गत सरकार ने 90 करोड़ रु. के आबंटन के साथ "इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मॉनीटरिंग केंद्र (ईएमएमसी) के सुदृढ़ीकरण" हेतु एक योजनागत स्कीम शुरू की है ताकि योजनावधि के दौरान 300 टीवी चैनलों की मौजूदा निगरानी क्षमता को बढ़ाकर 1500 चैनलों तक किया जा सके। परिणामस्वरूप, ईएमएमसी की क्षमता को इस समय 600 प्राइवेट टीवी चैनलों तक बढ़ा दिया गया है जबकि इस क्षमता को 900 टीवी चैनलों तक और बढ़ाने के लिए उपाय किए जा रहे हैं।

ध्यातव्य है कि अभी तक लगभग 870 टीवी चैनलों को अपलिंक/डाउनलिंक करने की अनुमति प्रदान की गई है।

उपर्युक्त चैनलों की निगरानी करने में सक्षम बनाने के उद्देश्य से उक्त योजना में संविदा आधार पर जनशक्ति को भुगतान के आधार पर कार्य पर रखने का भी प्रावधान है। इसके अतिरिक्त, भारतीय सूचना सेवा (आइआइएस) संवर्ग के अधिकारी संविदा पर रखे गए स्टाफ का पर्यवेक्षण करते हैं।

*****